(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 3/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि.____(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2018 है ।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 3 के उपनियम (3क) में "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) 1 जनवरी, 2018 से नियम 7 की सारणी में,

(क) क्रम सं. 1 के स्तंभ सं. (3) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त का आधा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;
(ख) क्रम सं. 2 के स्तंभ सं. (3) में "ढाई प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त का ढाई प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;
(ग) क्रम सं. 3 के स्तंभ सं. (3) में "आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त का आधा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 20 के परंतुक का लोप किया जाएगा;
(iv) नियम 24 के उपनियम (4) में "31 दिसंबर, 2017" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2018" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;
(v) नियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**31.क लॉटरी, बाजी, द्यूत तथा घुड़दौड़ की दशा में आपूर्ति का मूल्य.-** (1) इस अध्याय के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट आपूर्तियों के संबंध में मूल्य, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित किया जाएगा ।

(2) (क) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाटरी की आपूर्ति का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का 100/112 या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझी जाएगी;

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी की आपूर्ति का का मूल्य, अंकित मूल्य का 100/128 या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथाअधिसूचित कीमत जो भी अधिक हो, समझी जाएगी;

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्तियां -

(क) "राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी" से ऐसी लॉटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न किसी राज्य में विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी;

(ख) "राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी" से ऐसी लॉटरी अभिप्रेत है जो आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न राज्य/राज्यों में विक्रय करने के लिए प्राधिकृत है; और

(ग) "आयोजित करने वाले राज्य" का वही अर्थ होगा जो उसे लॉटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के उपनियम(1) के खंड (च) में दिया गया है ।

3. बाजी में जीतने के मौके के रुप में, द्यूत या दौड़ क्लब में घुड़दौड़ के अनुयोज्य दावे की आपूर्ति का मूल्य, बाजी के अंकित मूल्य या टोटलाइजर में संदत्त रकम का सौ प्रतिशत होगा ।";

(vi) नियम 43 के उपनियम (2), के पश्चात् स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण:- नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्टीकृत किया जाता है कि छूट प्राप्त आपूर्ति के संकलित मूल्य में निम्नलिखित अपवर्जित होगा :-

(क) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1338 (अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 42/2017-एकीकृत कर(दर), तारीख 27/10/2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य;

(ख) निक्षेपों को स्वीकारने द्वारा, ऋण या अग्रिम का विस्तार, जहां तक कि प्रतिफल ब्याज या छूट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय बैकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था जिसके अंतर्गत गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी, जो निक्षेप स्वीकारने, ऋणों या अग्रिमों के विस्तार द्वारा सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, भी हैं, सेवाओं का मूल्य; और

(ग) भारत में सीमाशुल्क स्टेशन निकासी से भारत के बाहर किसी स्थान पर जलयान द्वारा माल के परिवहन द्वारा सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य ।";

(vii) नियम 54 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1अ) (क) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो इनपुट सेवा वितरक के रुप में समान पैन और राज्य कोड रखता है, वह सामान्य इनपुट सेवा के जमा को इनपुट सेवा वितरक को

अंतरित करने के लिए बीजक या यथास्थिति, जमा या विकलन टिप्पण जारी कर सकेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे:-

(i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो इनपुट सेवा वितरक के रुप में समान पैन और राज्य कोड रखता है का नाम, पता तथा माल और सेवाकर पहचान सं.;

(ii) सोलह अक्षरों से अनधिक क्रमवर्ती क्रमसंख्या, एक या बहु श्रेणियां, जिसके अंतर्गत वर्ण या अंक या विशेष अक्षर हाइफन अथवा डैश या स्लैश चिह्न जैसे कि क्रमश:, "-" और "/" और वित्तीय वर्ष के लिए कोई विशिष्ट सहयोजन;

(iii) जारी करने की तारीख;

(iv) सामान्य सेवा के आपूर्तिकर्ता का माल और सेवाकर पहचान सं. तथा मूल बीजक सं. जिसकी जमा इनपुट सेवा वितरक को अंतरित करना चाही गई है;

(v) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता तथा माल और सेवाकर पहचान सं.

(vi) जमा का कराधेय मूल्य, दर और रकम जो अंतरित की जानी है; और

(vii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।

(ख) खंड (क) के अधीन जारी बीजक में कराधेय मूल्य सामान्य सेवाओं के मूल्य के समान होगा ।";

(viii) नियम 55 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"55क माल के अंतरण के साथ आपूर्ति का कर बीजक या प्रदाय का बिल.- वाहन के भार साधक व्यक्ति नियम 46, 46क या यथास्थिति नियम 49 के उपबंधों के अनुसरण मे जारी आपूर्ति के कर बीजक या प्रदाय का बिल की प्रति साथ रखेगा यदि ऐसे व्यक्ति के लिए इन नियमों के अधीन ई-वे बिल साथ में रखना अपेक्षित नहीं है ।";

(ix) 23 अक्तूबर, 2017 से, नियम 89 के उपनियम (4क) और उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्

"(4क) प्राप्त आपूर्तियों की दशा में जिन पर आपूर्तिकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं 48/2017-केन्द्रीय कर 18 अक्तूबर, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. 1305(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी का लाभ उठाया है को माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति शून्य-दर बनाने के लिए उपयोग की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय प्रदान किया जाएगा ।

(4ख) प्राप्त आपूर्ति की दशा में, जिन पर आपूर्तिकर्ता ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1320(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-केन्द्रीय कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1321(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1272(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमा-शुल्क तारीख 13 अक्तूबर, 2017 अथवा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1299 (अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017- सीमा-शुल्क तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या उन सभी, का लाभ उठाया है, को माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचना के अधीन प्राप्त इनपुट के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने के लिए उपयोग के विस्तार तक की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय प्रदान की जाएगी ।"

(x) 23 अक्तूबर, 2017 से, नियम 96 में,

(क) उपनियम (1) में, "निर्यातकर्ता" शब्दों के स्थान पर "मालों के निर्यातकर्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, "सुसंगत निर्यात बीजकों" शब्दों के स्थान पर "निर्यात किए गए माल के संबंध में सुसंगत निर्यात बीजकों" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (3) में, "सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा" शब्दों के स्थान पर "सीमाशुल्क या सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अभिहित सिस्टम, मालों के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपनियम (9), के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(9) भारत के बाहर निर्यात की गई सेवाओं पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01** में भरा जाएगा और नियम 89 के उपबंधों के अनुसरण में व्यौवहार किया जाएगा"।

(10) व्यक्ति जो निर्यात किए गए माल या सेवाओं के लिए संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है उसे ऐसी आपूर्ति प्राप्त नहीं करनी चाहिए जिस पर आपूर्तिकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1305 (अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 18/10/2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1320(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23/10/2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1321(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23/10/2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1272(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 13/10/2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1299(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 13/10/2017 का लाभ उठाया है ।";

(xi) तारीख 1 फरवरी, 2018 से, नियम 138 के स्थान से निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“**138. माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना–**(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का–

(i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है ; या

(ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है ; या

(iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व, उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग क** में यथाविनिर्दिष्ट सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट सं. सृजित किया होगी ।

परंतु जहां माल एक राज्य में अवस्थित स्वामी से अन्य राज्य में अवस्थित कार्यकर्मकार को भेजा जाता है, तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी द्वारा सृजित जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां हस्तशिल्प माल एक राज्य से दूसरे में किसी ऐसे व्यक्ति जो धारा 24 के खंड (i) और (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, द्वारा परिवहन किया जाता है तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित जाएगा”

स्पष्टीकरण 1 - इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “हस्तशिल्प माल” से वह अर्थ होगा जो इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. सं. 1158 (अ) द्वारा प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. 32/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15/09/2017 में दिया गया है ।

स्पष्टीकरण 2 - इस नियम के प्रयोजन के लिए माल का पारेषण मूल्य वह मूल्य होगा जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसरण में अवधारित किया गया है बीजक, उक्त पारेषण के संबंध में जारी किए गए यथास्थिति, आपूर्ति के बिल या परिदान चालान में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय कर या संघ राज्य-क्षेत्र कर अथवा दस्तावेजों में भारित किया गया सैस, यदि कोई हो, भी है ।

(2) जहां माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पारेषित के रूप में या पारेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाता है, चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक पर लिए गए या रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, तो उक्त व्यक्ति या प्राप्तिकर्ता **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग ख** में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप में **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा:

परंतु जहां माल का परिवहन रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, किया जाता है ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता होते हुए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा, जो सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा -

(क) **प्ररुप जीएसटी इडब्ल्यूबी-01** के **भाग ख** में सूचना; और

(ख) यथास्थिति, रेलवे प्राप्ति या वायुयान पारेषण टिप्पण या लदान का बिल की क्रम सं. और तारीख।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग क** में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परंतु यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है :

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** में ई-बिल का सृजन कर सकेगा :

परंतु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारेषक के कारबार के स्थान से, परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से आगे परिवहन के लिए, दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या यथास्थिति परिवहनकर्ता **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग ख** में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

स्पष्टीकरण 1.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है ।

स्पष्टीकरण 2.- ई वे बिल, सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि **प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** बिल **भाग-ख** में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा के जब परिवहन उपनियम (3) के तीसरे परंतुक और उपनियम (5) के परंतुक के अंतर्गत आता है ।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसनें **प्ररुप जीएसटी ईडब्लूबी-01** के भाग क में सूचना प्रदान की है या

परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल के परिवहन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** में वाहन के ब्यौरे ई-वे बिल में अद्यतन करेगा :

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमत: पारेषिती के कारबार के स्थान से दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जाएग ।

(5क) पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने **प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग क** में वाहन के ब्यौरे की सूचना दी है या परिवहनकर्ता पारेषण के आगे परिवहन के लिए **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के भाग ख में सूचना अद्यतन करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को **ईब्ल्युबी-01** बिल सं. समनुदेशित कर सकेगा ।

परन्तु एक बार परिवहनकर्ता द्वारा **प्ररुप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के भाग ख में अद्ययन कर दी जाती है, यथास्थिति, पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग क** में सूचना दी है, को किसी अन्य व्यक्ति को ई-वे बिल संख्या समनुदेशित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-02** में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा ।

(7) जहां पारेषक या पारेषिती ने उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** का सृजन नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तो परिवहनकर्ता, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान के आधार पर **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** का सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-02** में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा ।

परंतु जहां माल जिनका परिवहन किया जाना है उसकी ई-वाणिज्य परिचालक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वहां ऐसे ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईडब्लूबी-01** के **भाग क** में सूचना दी जा सकेगी ।

(8) **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग **प्ररूप जीएसटीआर-01** में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा :

परंतु जहां सूचना गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार या गैर-रजिस्ट्रकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** में प्रस्तुत की गयी है तो उसे इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध है ।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटें के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है ।

परंतु यह और कि उपनियम (1) के अधीन उत्पन्न विशिष्ट संख्या **प्ररुप जीएसटी ईडब्लूबी-01** के **भाग ख** के अद्यतन के लिए 72 घंटे तक विधिमान्य होगी ।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल का परिवहन की जाने वाली, देश के भीतर दूरी, के लिए विधिमान्य होगा :

सारणी

क्रम सं.	**दूरी**	**वैधता की अवधि**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन

परंतु आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, किसी ई-वे बिल की विधिमान्यता की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहनकर्ता **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग ख** में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् दूसरा ई-वे बिल सृजित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसको ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना चौबीस घंटों के रूप में की जाएगी ।

(11) उप-नियम (1) के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध कराया जाएगा-

(क) पूर्तिकार को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्राप्तिकर्ता या परिवाहक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग क** में जानकारी दी गई है; या

(ख) प्राप्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां पूर्तिकार या परिवाहक द्वारा **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** के **भाग क** में जानकारी दी गई है,

और पूर्तिकार या प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, वह अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा ।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट प्राप्तिकर्ता सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घण्टे के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है ।

(13) इस नियम या किसी राज्य के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में वैध होगा ।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी –

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है ;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमा-शुल्क केंद्र से किसी ईन-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा-शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है ; और

(घ) माल का संचलन ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है, जो संबंधित राज्य के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (घ) के अधीन अधिसूचित है ;

(ङ) जहां डी-ऑयल्ड केक से भिन्न परिवहन किया गया माल भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 674(अ) द्वारा प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ;

(च) जहां माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन ; और

(छ) जहां परिवहन किए जाने वाले माल को अधिनियम की अनुसूची 3 के अधीन किसी आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है ।

स्पष्टीकरण–ई-वे बिल के सृजन और रद्द करने की सुविधा को **एसएमएस** के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

उपाबंध

[(देखें नियम 138(14)]

क्र.सं.	**माल का विवरण**
(1)	**(3)**
1	परिवार और गैर-घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति
2	पीडीएस के अधीन बिक्रीत मिट्टी का तेल
3	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
4	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न ; कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाले धातु
5	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय-71)
6	करेंसी
7	निजी और घरेलू प्रभाव के उपयोग
8	प्रवाल, अकर्मित(0508) और कर्मित प्रवाल(9601).”;

(xii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(xiii) तारीख 1 फरवरी, 2018 से, नियम 138ख में उप-नियम (3) के परंतुक में “करने के पश्चात् किसी” शब्दों के स्थान पर “करने के पश्चात् किसी अन्य” शब्द रखे जाएंगे ;

(xiv) **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क** में,

(क) विवरण 1क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण-2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपये में)

क्र.सं.	बीजक के ब्यौरे	एकीकृत कर	उपकर	बीआरसी/ एफआईआरसी	**नामे नोट में अन्तर्वलि**	**जमापत्र में अन्तर्वलि**	**शुद्ध एकीकृत कर और**

	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख	**त एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो**	**त एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो**	**उपकर (6+7+10-11)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रुपये में)

क्र. सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/सेवा (जी/एस)	पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र			ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी/ एफआईआरसी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12”;

(ख) विवरण 3क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2) (ङ)]

प्रतिदाय का प्रकार : विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को (कर का संदाय पर) किए गए प्रदाय के मद्दे

(रकम रुपये में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			विशेष आर्थिक जोन द्वारा पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र/पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	**नामे नोट में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो**	**जमा पत्र में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो**	**शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10-11)**
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12”;

(xv) तारीख 1 फरवरी, 2018 से, **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-01** और **प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी-02 के स्थान पर** निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी -01

(नियम 138 देखिये)

ई-वे बिल

ई-वे बिल सं. :

ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

से विधिमान्य :

तक विधिमान्य :

भाग-क		
क.1	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	
क.2	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क.3	परिदान का स्थान	
क.4	दस्तावेज संख्यांक	
क.5	दस्तावेज की तारीख	
क.6	माल का मूल्य	
क.7	एचएसएन कोड	
क.8	परिवहन के कारण	
भाग-ख		
ख.1	सड़क के लिए यान संख्यांक	
ख.2	परिवहन दस्तावेज संख्यांक	

टिप्पण:

1. क.7 में एचएसएन कोड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में

पांच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा ।

2. दस्तावेज संख्या कर बीजक, प्रदाय-पत्र, परिदान चालान या प्रवेश पत्र का हो सकेगा ।

3. परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या पोत परिवहन पत्र संख्या को उपदर्शित करता है ।

4. परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा ।

5. परिवहन का कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा :-

कोड	**विवरण**
1	प्रदाय
2	निर्यात या आयात
3	छुट-पुट कार्य
4	एसकेडी या सीकेडी
5	प्राप्तिकर्ता ज्ञात नहीं है
6	लाइन सेल्स
7	विक्रय की विवरणी
8	प्रदर्शनी या मेले
9	स्वयं के उपयोग के लिए
0	अन्य

प्ररूप जीएसटी ईब्ल्युबी -02

(नियम 138 देखें)

समेकित ई-वे बिल

समेकित ई-वे बिल संख्यांक :

समेकित ई-वे बिल की तारीख :

सृजनकर्ता :

यान संख्या :

ई-वे बिल संख्या	
ई-वे बिल सं.”;	

(xvii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(xviii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

[फा.सं.349/58/2017 – जीएसटी (पीटी.)]

(डा.श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 1602(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना

संख्यांक 75/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा उनमें अंतिम बार संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था ।